न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 57/2020

उनवान

रामराज मुतबन्ना छोटू जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. शोंकरण पुत्र भूरा
2. रसाल, पुत्री भूरा
3. सुप्यार, पुत्री भूरा
4. जडाव पि0 भूरा जाति जाट नि0 तिहारी, नसीराबाद,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 4 स्वयं
5 जरियें राज0 पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89, 92ए, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 7.12.21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी के हाल खाता संख्या 183/157 किता 17 रकबा 5.52, 647/602 किता 10 रकबा 1.18, 824/767 किता 2 रकबा 0.42, 338/287 किता 5 रकबा 0.46, 337/286 किता 2 रकबा 1.05 खसरा नम्बर 362 रकबा 0.09, 4887/6499 रकबा 0.04 व 363 रकबा 0.15 की आराजी के मूल खातेदार छोटू पुत्र भूरा है। वादी के दत्तक पिता का स्वर्गवास हो चुका है इसके उपरान्त भी उक्त आराजी वादी के दत्तक पिता के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही है। वादी के दत्तक पिता छोटू ने अपने जीवन काल में जाईन्दा पुत्र की प्राप्ति नही होने के कारण वादी को हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार गोद पुत्र स्वीकार किया था। वादी ने गोद जाने के बाद समस्त किया कर्म पुत्र की भाति अदा किये। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार छोटू के स्थान पर वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के खातेदार छोटू द्वारा वादी को गोद लिया था अतः वाद स्वीकार किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि समस्त भूमि खातेदारी में से वादी के नाम दर्ज की जाती है, तो राजहित प्रभावित नही होता है। प्रकरण में वाद का खण्डन नही होने से तनकियात कायम नही की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 शोकरण पुत्र भूरा व बच्छराज पुत्र राधकिशन के बयान लिये गये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा छोटू पुत्र भूरा व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार छोटू पुत्र भूरा की मृत्यु दिनांक 18.09.2017 को हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैंक पास बुक, राशन कार्ड व आधार कार्ड में वादी के पिता का नाम छोटू ही दर्ज है। वादी का कथन है कि छोटू द्वारा उसको गोद लिया गया थ। छोटू पुत्र भूरा के भाई शोकरण व बहिन रसाल, सुप्यार, जडाव द्वारा भी इसकी पुष्टि की है तथा स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया है। राज0 पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य द्वारा भी इस कथन की ताईद की है कि वादी को छोटू द्वारा गोद लिया गया था। वादी के जायन्दा पिता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी इस बाबत स्वीकारोक्ति पेश की है। उक्तानुसार सिद्व होता है कि आराजी मुतनाजा पर छोटू द्वारा वादी को गोद लिया गया।

अतः वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम तिहारी के हाल खाता संख्या 183/157 किता 17 रकबा 5.52, 647/602 किता 10 रकबा 1.18, 824/767 किता 2 रकबा 0.42, 338/287 किता 5 रकबा 0.46, 337/286 किता 2 रकबा 1.05 खसरा नम्बर 362 रकबा 0.09, 4887/6499 रकबा 0.04 व 363 रकबा 0.15 की आराजी पर छोटू पुत्र भूरा के हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner